

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/नवीन सडक पुलिया मं. अनुशंषा/2019-20/

दि.

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय- सी.सी. सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग- विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 45095-105 दिनांक 11.12.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में पंचायत समिति तलवाडा, जिला बांसवाडा से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं. 5 में वर्णित राशि 10.00 लाख रु. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है--
कार्यकारी एजेन्सी - ग्राम पंचायत (राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्य का नाम व स्थान	पस.	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र/दि	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	सी.सी.सडक गौतम बालू के घर से रतना कूरिया के घर तक, खराडीफला	तलवाडा	1456/13.12.2019	10.00	8.00

उपरोक्त कार्य की राशि 10.00 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त 8.00 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 43/2019-20 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि में से उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को देय होगी।

कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तों के अधीन कराया जावे।

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728-80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यों की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नहीं कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।

कृ.पू.उ.

7. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावे।

भवदीय

Sd/-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS

आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/सडक निर्माण/2020-21/32003-11 दि. 30.12.2020
प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि स्वीकृत राशि 10.00 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त 8.00 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता भद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 43/2019-20 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि में से उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को राशि हस्तान्तरण करावे।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति तलवाडा, जिला बांसवाडा।
8. गार्ड फाईल।

[Signature]
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर